



2026:AHC:66284

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 8707 वर्ष 2026**

**कादिर ..... आवेदक**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी**

**आवेदक के अधिवक्ता: गौरव द्विवेदी, कमलेश कुमार द्विवेदी**

**प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता**

**न्यायालय सं - 69**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा**

1. आवेदक के अधिवक्ता कमलेश कुमार द्विवेदी और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे केस अपराध संख्या-359 वर्ष 2024 में धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 351(2), 352, 109 के तहत ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह आवेदक की ओर से दायर आवेदक का दूसरा ज़मानत आवेदन है और पहली ज़मानत याचिका 24.07.2025 को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई थी।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक 30.07.2024 से जेल में बंद है और आज तक विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी गवाह की जांच नहीं की गई है, जो आदेश पत्र की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है, जो आवेदन ज़ापन के साथ संलग्न है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



5. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रदीप कुमार @ बानू बनाम पंजाब राज्य में भरोसा किया है, जो एसएलपी (क्रिल०) संख्या-18775 वर्ष 2025 से उत्पन्न हुआ है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ऐसे मामले में, जहां अपीलकर्ता लगभग दो साल से जेल में रहा और किसी गवाह की जांच नहीं की गई है, उसने धारा 386, 307, 506 भ०द०वि० और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6) और 27 के तहत अपराधों के लिए उस मामले के अपीलकर्ता को ज़मानत दे दी थी।

6. ततस्य विपरीत अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया है और उसके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की पहली ज़मानत याचिका को इस न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था और ज़मानत देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

7. इस न्यायालय द्वारा 24.07.2025 को गुण-दोष के आधार पर पहली ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी और आवेदक 30.07.2024 से जेल में बंद है और आज तक विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी गवाह की जांच नहीं की गई है, इसलिए, निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं है।

8. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत ज़मानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

9. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक-कादिर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो ज़मानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाएगा: -

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।



(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)